

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
23-9-2025	<p style="text-align: center;">एकल-पीठ श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य</p> <p>उपस्थित : श्री गौरव दवे, अभिभाषक अपीलांट श्री तेजेन्द्र सिंह राठौड, उप राजकीय अभिभाषक</p> <p style="text-align: center;">निर्णय</p> <p>1. हस्तगत दोनों अपीलें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-76 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12-12-05 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। दोनों ही अपीलों में विवादित भूमि, विवाद का बिन्दु और पक्षकारान समान है तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा भी उक्त दोनों अपीलों का निस्तारण अपने एक ही निर्णय से किया है अतः हमारे द्वारा भी इन दोनों अपीलों का निस्तारण इस एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां दोनों पत्रावलियों में संलग्न की जावे।</p> <p>2. अपील ज्ञापन के अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को ग्राम कूकस तहसील जमवारामगढ में स्थिति खसरा नंबर 500 में से 15-15 बीघा भूमि का आवंटन राजस्थान भू आवंटन नियम 1957 के अंतर्गत दिनांक 2-11-1966 को किया गया। जिसके विरुद्ध रेस्पोंडेंट ने बेरी आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत अति० जिला कलेक्टर चतुर्थ जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे अति० जिला कलेक्टर चतुर्थ जयपुर ने स्वीकार कर अपीलांट को किया गया आवंटन निरस्त कर दिया। जिसके विरुद्ध प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 12-12-05 से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित हो यह दोनों द्वितीय अपीलें प्रस्तुत की गई है।</p> <p>3. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन में अंकित तथ्यों को दोहरात हुये बहस में कहा कि अपीलान्ट को ग्राम कूकस तहसील जमवा रामगढ में स्थित खसरा नम्बर 500 में से 15-15 बीघा भूमि का आवंटन राज. भू-आवंटन नियम, 1957 के अन्तर्गत दिनांक 02.11.1966 को आवंटन समिति द्वारा किया गया, जिसके</p>	

विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा गठित बेरी आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर रेस्पॉडेन्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 इस आधार पर प्रस्तुत किया कि ग्राम कूकस तहसील आमेर स्थित जयपुर नगर पालिका की 10 मील की परिधि में स्थित है तथा ऐसा आवंटन राज्य सरकार की अनुमति के बिना किया गया भूमि आवंटन अवैध है तथा अपीलान्ट के क्रमशः पुत्र व पति श्री रामेश्वर प्रसाद तत्समय राजस्व मंत्री के निजी सहायक थे, जिन्होंने अपने पद व प्रभाव का इस्तेमाल करते हुये उक्त भूमि का आवंटन अवैध रूप से करवा लिया गया जो निरस्त किये जावे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर चतुर्थ जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 19.11.2001 के द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में हुये आवंटन को निरस्त कर दिया, जिसके विरुद्ध अपीलान्ट ने प्रथम अपील राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर के यहां प्रस्तुत की। नामान्तरकरण भी अपीलान्ट के नाम खुल चुका है, तत्पश्चात खातेदारी का भी नामान्तरकरण खुल चुका है और 20-25 वर्ष से बहैसियत खातेदार अपनी उक्त आवंटनशुदा भूमि का उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है, जिसमें लाखों रुपये खर्चा कर पुख्ता चाह व मकान बाड़े आदि बना रखे हैं। खसरा नम्बर 500 का रकबा 145 बीघा 3 बिस्वा था, जिसमें से कई व्यक्तियों को आवंटन हुआ है, ग्राम कूकस सन् 1966 से तहसील जामवारामढ के अधीन था और तत्कालीन तहसील जमवा रामगढ का एकीकरण होने पर आवंटनशुदा भूमि के नये खसरा नम्बर 1333, 1334, 1335 व 1271, 1272, व 1273 कायम किये गये। अपीलान्ट के आवंटन के विरुद्ध एक अपील कूकस सहकारी समिति द्वारा राजस्व अपील संख्या-80/1967 की गई, जिसे तत्कालीन अतिरिक्त कलेक्टर जयपुर ने अपीलान्ट के आवंटन को सही मानते हुये आवंटन के विरुद्ध अपील दिनांक 25.10.1967 को खारिज कर दी। अपीलान्ट ने बेरी आयोग के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत किया था कि ग्राम कूकस जयपुर से 12 मील की दूरी पर स्थित है, को भी नजरअंदाज कर अपीलान्ट की आवंटित भूमि को 10 मील की दूरी पर मानकर अपील रिपोर्ट में उल्लेख किया है। विद्वान अतिरिक्त कलेक्टर ने बिना मूल आवंटन की पत्रावली को मंगाये अपीलान्ट की अपील खारिज कर दी। राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर ने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त तथ्यों एवं साक्ष्यों को नजरअंदाज कर अपने निर्णय दिनांक 12.12.2005 द्वारा दोनों अपीलों को खारिज कर दिया, जिससे असंतुष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा ये दोनों अपीलें मंडल के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं। उनका कथन है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय कानून एवं मिसल पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्य के विपरीत है। अपीलान्ट को उक्त आराजी का आवंटन दिनांक 02.11.1966 को किया गया था, जिसके विरुद्ध कूकस पूर्वी

सहकारी समिति ने एक अपील उक्त आवंटन के विरुद्ध की थी और अतिरिक्त जिलाधीश जयपुर ने आवंटन दिनांक 02.11.1966 को अपीलान्त के हक में सही मानते हुये राजस्व अपील संख्या-80 / 1967 को दिनांक 25.10.1967 को निरस्त कर दी तथा अपीलान्त के पक्ष में हुये आवंटन को सही मान बहाल रखा था, ऐसी स्थिति में जबकि अपील में आवंटन को पूर्व में ही सही माना जा चुका था तो पुनः बेरी आयोग की रिपोर्ट पर नये सिरे से पुनः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) आवंटन नियम 1970 चलने योग्य नहीं था और उक्त उजरात को श्रीमती ओमलता के प्रकरण में लिया गया था। चूंकि अपीलान्त को प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने नोटिस नहीं दिया था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पत्रावलियों को इकजाई कर गलत रूप से उक्त आपत्तियों को नजरअंदाज कर अपीलान्त का आवंटन निरस्त कर दिया, किन्तु राजस्व अपील अधिकारी ने उक्त महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज कर अपीलान्त की अपील खारिज कर भारी त्रुटी की है। आवंटन नियम 1970 के तहत आवंटित आराजी पर आवंटित व्यक्ति को खातेदारी अधिकार 10 वर्षों पश्चात तभी प्राप्त होते हैं, जब उसने आवंटन नियमों व शर्तों की पूर्ण रूप से पालना की हो, ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रकरण में भी अपीलान्त के पिता को नियमानुसार आवंटन नियमों व शर्तों की पूर्ण पालना करने पर आवंटित आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। उसके पश्चात अपीलान्त के पिता की सन् 1986 में मृत्यु होने पर नामान्तरकरण संख्या-77 दिनांक 23.05.1989 अपीलान्त के नाम खुल चुका है, किन्तु राजस्व अपील अधिकारी ने उक्त तथ्य को नजरअंदाज कर अपील अस्वीकार कर भारी कानूनी भूल की है। अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा आवंटन की मूल पत्रावली को तलब किये बिना मूल आवंटन की पत्रावली को देखे बिना मनमाने ढंग से अपीलान्त का आवंटन निरस्त कर दिया, जबकि तहसील की रिपोर्ट ग्राम कूकस की दूरी के बारे में पत्रावली पर स्पष्ट रूप से आ चुकी थी कि ग्राम कूकस जयपुर के जीरो पाइंट से 12 मील की दूरी से अधिक की दूरी अर्थात् 18 कि.मी. है, लेकिन विद्वान अधीनस्थ अपीलिय न्यायालय ने इस रिपोर्ट को नजरअंदाज कर मनमाने ढंग से मात्र बेरी आयोग की रिपोर्ट में 10 मील की दूरी के बारे में अवधारणा दी है, उसी को आधार मानकर अपीलान्त की अपील गलत खारिज की है। अपीलान्त को दिनांक 02.11.1966 को नियमानुसार आवंटन किया गया था, जिसे आज लगभग 40 वर्ष हो चुके हैं, और अपीलान्त ने उक्त आवंटित आराजी पर लाखों रूपये खर्च कर कृषि योग्य बनाया है, और तत्कालीन तहसील जमवा रामगढ़ से सन् 1967 से इजाजत लेकर भूमि पर आवासीय भूमि पर पुख्ता मकान, कुंआ आदि का निर्माण कर लाखों रूपये खर्च किये हैं, ऐसी स्थिति में उक्त 40 वर्ष पूर्व के आवंटन को

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	<p>मात्र तकनीकी आधारों पर निरस्त नहीं किया जाना चाहिए। यही सिद्धान्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ए.आई.आर. 1994 एस.सी. 1128 तथामाननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2001 आर.आर. डी. पेज 206 में प्रतिपादित किया है। किन्तु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त कानूनी निर्णयों को नजरअंदाज कर निर्णय पारित किया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने उपरोक्त तथ्यों को दरकिनार करते हुये अपीलांत का विधिवत आवंटन निरस्त करने में त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किये जावे।</p> <p>4. उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुये विद्वान उप राजकीय अभिभाषक का कथन है कि आवंटन नियमों के विरुद्ध किया गया। कूकस जयपुर नगर पालिका की 10 मील की परिधि में आने के कारण बेरी आयोग ने आवंटन निरस्त करने की सरकार को सिफारिश की थी, जिसके आधार पर आवंटन निरस्त किया गया। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती हैं, जिसमें किसी प्रकार की विधिक व तात्त्विक त्रुटि नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।</p> <p>5. अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली के साथ अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखक का अवलोकन व अध्ययन किया।</p> <p>6. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी को किये गये आवंटन के विरुद्ध बेरी आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर अति० जिला कलेक्टर (चतुर्थ) जयपुर ने अपीलार्थी का आवंटन निरस्त कर दिया जिसके विरुद्ध प्रस्तुत अपील भी न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर ने खारिज की है। उक्त दोनों निर्णयों से व्यथित होकर ये दोनों अपीलें प्रस्तुत की गई है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलांत का आवंटन निरस्त करने का मुख्य आधार अपने निर्णय में यह लिया है कि दोनों ही अपीलों में अपीलार्थीगण को राजस्थान भू आवंटन नियम, 1957 के तहत 15-15 बीघा भूमि आवंटित होना अविवादित है इन नियमों के तहत जयपुर की नगरपरिषद सीमा से 10 मील परिधि से दूरी पर स्थित भूमि ही आवंटित की जा सकती थी। तहसीलदार की रिपोर्ट में जयपुर से 12 मील दूरी बताई गई है जो स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि दूरी नगरपरिषद की बाहरी सीमा से सीधी दूरी एरियल दूरी, अर्थात् त्रिज्या रेडियस के रूप में मापी जाती है। तहसीलदार द्वारा अंकित</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	<p>दूरी सड़क की दूरी को अपीलीय न्यायालय ने नियमों के अंतर्गत नहीं माना है। बेरी आयोग के समक्ष प्रस्तुत जयपुर के नक्शों से भी सीधी दूरी 10 मील से कम बताई गई है। अपीलार्थी ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष जयपुर का ऐसा कोई नक्शा पेश नहीं किया जिससे साबित हो सके कि विवादित आराजी की दूरी 10 मील से अधिक है। आवंटन कितना भी पुराना हो यदि नियम विरुद्ध हो तो कभी भी निरस्त किया जा सकता है। अपीलीय न्यायालय ने भी विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण के साथ अपीलांत की अपील खारिज करते हुये अपर जिला कलेक्टर (चतुर्थ) जयपुर के निर्णय का समर्थन किया है। हस्तगत प्रकरण में अपीलांत हमारे समक्ष ऐसा कोई तथ्य साबित करने में विफल रहे है, जिससे दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जा सके। हमारी सुविचारित राय में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती है तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आलोच्य निर्णयों में विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई तात्विक त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर अपील के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप अपेक्षित हो। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत दोनों अपीलें खारिज किये जाने योग्य हैं।</p> <p>7. परिणामतः हस्तगत दोनों अपीलें एतद्द्वारा खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति दोनों पृथक पृथक पत्रावलियों में संलग्न की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय आदेश प्रति लौटाया जाकर पत्रावली बाद फैसल शुमार दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">(मदनलाल नेहरा) सदस्य</p>	